राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– बन्शीधर योगी, (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या :– 55/2024 ग्रा0प0

1. लादूलाल S/o भैरू जाट (कुमावत) नि0–चावंडिया तह0 करेड़ा

प्रार्थी......

बनाम

01. दालचन्द S/o छोगा (कुमावत) नि0–चावंडिया–तह0 करेड़ा – काश्त

विपक्षीगण......

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: **दिनांक** 18/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चावंडिया पटवार हल्का चावंडिया तहसील करेड़ा में उसके खाते / संयुक्त खाता संख्या 347 आराजी नम्बर 595 .... कुलकिता 1 रकबा 0.4173 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 7/2/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने जारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चावंडिया पटवार हल्का चावंडिया तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 347 आराजी नम्बर 595 .... कुलकिता 1 रकबा 0.4173 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक भीलवाड़ा (?) को 450/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.21 15:55:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर करेड़ा

:– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर करेड़ा